पत्र संख्या–11/आ०–न्याय–30/2021 सा0प्र0 2568

बिहार सरकार

सामान्य प्रशासन विभाग

प्रेषक,

रजनीश कुमार,
सरकार के संयुक्त सचिव।

सेवा में,

सभी अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव।
सभी विभागाध्यक्ष।
सभी प्रमण्डलीय आयुक्त।
सभी जिला पदाधिकारी।
सचिव, बिहार लोक सेवा आयोग, पटना।
सचिव, बिहार कर्मचारी चयन आयोग, पटना।
सचिव, केन्द्रीय चयन पर्षद (सिपाही भर्ती), पटना।
परीक्षा नियंत्रक, बिहार संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा पर्षद, पटना।
निबंधक, महाधिवक्ता, बिहार का कार्यालय, उच्च न्यायालय, पटना।
सचिव, बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार, पटना।
सचिव, बिहार राज्य विश्व विद्यालय सेवा आयोग, पटना।
सचिव, बिहार तकनीकी सेवा आयोग, पटना।
सचिव, बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग, पटना।

पटना–15, दिनांक 11.02.2025

विषय :– **दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 की धारा–2(s) के अंतर्गत परिभाषित, परन्तु इस अधिनियम की धारा–2(r) के अंतर्गत अपरिभाषित विशिष्ट दिव्यांग अभ्यर्थियों अर्थात 40 प्रतिशत से कम दिव्यांगता वाले तथा लिखने में असमर्थ अभ्यर्थियों के लिए श्रुतिलेखक एवं अन्य सुविधा उपलब्ध कराने के संबंध में।**

महोदय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार के कार्यालय ज्ञापन संख्या– F. No. 29-6/2019-DD-III दिनांक–10.08.2022 द्वारा सूचित गया है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय, नई दिल्ली में दायर सिविल अपील संख्या–273/2021 (एस0एल0पी0 (सी0)–1882/2021) विकास कुमार बनाम यूनियन पब्लिक सर्विस कमिशन एवं अन्य के मामले में माननीय न्यायालय द्वारा दिनांक–11.02.2021 को पारित आदेश के आलोक में 40 प्रतिशत से कम दिव्यांगता ग्रस्त अभ्यर्थियों को श्रुतिलेखक की सुविधा उपलब्ध कराने के संबंध में एक समिति का गठन किया गया। तदुनसार समिति के द्वारा दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 की धारा–2(s) के अंतर्गत परिभाषित, परन्तु इस अधिनियम की धारा–2(r) के अंतर्गत अपरिभाषित विशिष्ट दिव्यांग अभ्यर्थियों अर्थात 40 प्रतिशत से कम दिव्यांगता वाले तथा लिखने में असमर्थ अभ्यर्थियों के लिए लिखित परीक्षा में श्रुतिलेखक एवं अन्य सुविधा उपलब्ध कराने के लिए दिशा–निदेश जारी किए जाने की अनुशंसा की गयी है।

उपर्युक्त के आलोक में भारत सरकार के कार्यालय ज्ञापन दिनांक–10.08.2022 द्वारा दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 की धारा–2(s) के अंतर्गत परिभाषित, परन्तु इस अधिनियम की धारा–2(r) के अंतर्गत अपरिभाषित विशिष्ट दिव्यांग अभ्यर्थियों अर्थात 40 प्रतिशत से कम दिव्यांगता वाले तथा लिखने में असमर्थ अभ्यर्थियों के लिए लिखित परीक्षा के संदर्भ में दिशा–निदेश जारी किए गए हैं।

उल्लेखनीय है कि दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 के आलोक में विभागीय परिपत्र संख्या–10668 दिनांक–29.06.2022 द्वारा बेंचमार्क दिव्यांग अभ्यर्थियों (40 प्रतिशत या उससे अधिक दिव्यांगता से ग्रस्त) को श्रुतिलेखक एवं अन्य सुविधा उपलब्ध कराने के संबंध में प्रावधान जारी किये गये हैं।

अतः दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार के कार्यालय ज्ञापन संख्या–F. No. 29-6/2019-DD-III दिनांक–10.08.2022 की छायाप्रति संलग्न करते हुए अनुरोध है कि विभागीय परिपत्र संख्या–10668 दिनांक–29.06.2022 (छायाप्रति संलग्न) के अनुरूप दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 की धारा–2(s) के अंतर्गत परिभाषित, परन्तु इस अधिनियम की धारा–2(r) के अंतर्गत अपरिभाषित विशिष्ट दिव्यांग अभ्यर्थियों अर्थात 40 प्रतिशत से कम दिव्यांगता वाले तथा लिखने में असमर्थ अभ्यर्थियों को श्रुतिलेखक एवं अन्य सुविधा उपलब्ध कराने के संबंध में अग्रेतर कार्रवाई करने की कृपा की जाय।

अनु०–यथोक्त।

विश्वासभाजन,

11/02/25.

(रजनीश कुमार)

सरकार के संयुक्त सचिव।

FILE PATH-C/Mohit – HINDI LETTER

F. No. 29-6/2019-DD-III
Government of India
Ministry of Social Justice and Empowerment
Department of Empowerment of Persons with Disabilities (Divyangjan)
***

Pt. Deendayal Antyodaya Bhawan,
CGO Complex, New Delhi – 110003
Dated: the 10th August, 2022

Office Memorandum

Subject: Guidelines for conducting written examination for persons with specified disabilities covered under the definition of Section 2(s) of the RPwD Act, 2016 but not covered under the definition of Section 2(r) of the said Act, i.e. persons having less than 40% disability and having difficulty in writing

The undersigned is directed to say that this Department has issued guidelines for conducting written examination for persons with benchmark disabilities (i.e. with 40% or more disability, for whom the benefit of reservation in Government posts are allowed) on 29.08.2018 and corrigendum dated 08.02.2019 which inter-alia, provides for grant of scribe and compensatory time. Hon'ble Supreme Court in its order dated 11.02.2021 in the matter of Shri Vikash Kumar Vs UPSC and others has directed this Department to frame proper guidelines which would regulate and facilitate the grant of a facility of a scribe to persons with disability within the meaning of Section 2 (s) of the RPwD Act, 2016, where the nature of disability operates to impose a barrier to the candidate writing an examination. These guidelines should also prescribe appropriate norms to ensure that condition of the candidate is duly certified by such competent medical authority as may be prescribed so as to ensure that only genuine candidates in need of the facility are able to avail it.

2. Keeping in view the above order of the Hon'ble Supreme Court, an Expert Committee was constituted to consider the issue and suggest guidelines accordingly. The Committee noted that there are various types of clinical problems that can affect the writing capacity. After careful consideration of the matter, the Committee recommended that sole criteria for grant of scribe and compensatory time should be based on assessment of the capability of a person to write.

3. The Committee accordingly recommended the following guidelines for conducting written examination for persons with specified disabilities covered under the definition of Section 2(s) of the RPwD Act,2016 but not covered under the definition of Section 2(r) of the said Act, i.e. persons having less than 40% disability and having difficulty in writing: -

(a) These guidelines may be called as Guidelines for conducting written examination for persons with specified disabilities covered under the definition of Section 2(s) of the RPwD Act, 2016 but not covered under the definition of Section 2(r) of the said Act, i.e. persons having less than 40% disability and having difficulty in writing.

(b) The facility of scribe and/or compensatory time shall be granted solely to those having difficulty in writing subject to production of a certificate to the effect that person concerned has limitation to write and that scribe is essential to write examination on his/her behalf from the competent medical authority of a Government healthcare institution as per proforma at **Appendix-I**.

(c) The medical authority for the purpose of certification as mentioned in point (b) above should be a multi-member authority comprising the following:-

i. Chief Medical officer/Civil Surgeon/Chief District Medical Officer.....Chairperson
ii. Orthopaedic/PMR specialist
iii. Neurologist, if available*
iv. Clinical Psychologist/Rehabilitation Psychologist/ Psychiatrist/Special Educator
v. Occupational therapist, if available*
vi. Any other expert based on the condition of the candidate as may be nominated by the Chairperson.

(* the Chief Medical Officer/Civil Surgeon/Chief District Medical Officer may make full efforts for inclusion of neurologists, occupational therapist from the nearest District or the Medical College/Institute, if the same is not available in the District)"

(d) The candidate should have the discretion of opting for his own scribe or request the Examination Body for the same. The examination body may also identify the scribe to make panels at the District/Division/State level as per the requirements of the examination. In later instances the candidates should be allowed to meet the scribe two days before the examination so that the candidates get a chance to check and verify whether the scribe is suitable or not.

(e) In case the examination body provides the scribe, it shall be ensured that qualification of the scribe should not be more than the minimum qualification criteria of the examination. However, the qualification of the scribe should always be matriculate or above.

In case the candidate is allowed to bring his own scribe, the qualification of the scribe should be one step below the qualification of the candidate taking examination. The person opting for own scribe should submit details of the own scribe as per proforma at **Appendix-II**.

(f) There should also be flexibility in accommodating any change in scribe in case of emergency. The candidates should also be allowed to take different scribe for writing different papers especially for languages. However, there can be only one scribe per subject.

(g) The candidate should be allowed to use aids and assistive devices such as prosthetics & orthotics, hearing aid as mentioned in para 2 of the certificate issued by medical authority as per Appendix I.

(h) Compensatory time not less than 20 minutes per hour of the examination should be allowed for persons who are eligible for getting scribe. In case the duration of the

examination is less than an hour, then the duration of the compensatory time should be allowed on pro-rata basis. Compensatory time should not be less than 5 minutes and should be in the multiple of 5.

(i) The examination bodies shall modify their application forms to incorporate specific needs of this category of persons. In case, any incident has been reported after filling up the form, the examination bodies shall inform the candidates to obtain medical certificate as per these guidelines for facilitating grant of scribe and/or compensatory time.

(j) As far as possible the examination for such persons may be held at ground floor. The examination centres should be accessible for persons with disabilities.

(k) These guidelines are applicable to written examinations conducted by central recruitment agencies as well as academic institutions. The States/UTs may adopt these guidelines or issue similar guidelines to maintain uniformity.

(l) These guidelines are independent of the Guidelines for conducting written examination for persons with benchmark disabilities issued by the Department of Empowerment of Persons with Disabilities on 29.08.2018.

(m) The examining bodies shall ensure strict vigilance to check misuse of facility of scribe.

4. All the recruitment agencies, Academics/Examination Bodies etc. under the administrative control of each Ministry/Department may be advised appropriately to ensure compliance of implementing these guidelines.

5. The above guidelines are issued with the approval of Hon'ble Minister (Social Justice & Empowerment).

sd/-
(Mrityunjay Jha)
Deputy Secretary to the Government of India
Tel. No. 24369045

To

1. Secretary of all Ministries/Departments
2. Secretary, UPSC, Shahjahan road, New Delhi.
3. Chairman, SSC, Block No. 12, CGO Complex, Lodhi road, new Delhi-110003
4. Chairman, University Grants Commission with a request to issue necessary instructions to all universities including Deemed Universities for compliance.
5. Chairman, Railway Board

6. All National Institutes and RCI under administrative control of Department of Empowerment of Persons with Disabilities (Divyangjan), Ministry of SJ&E, new Delhi

Copy of information to: CCPD, 5th Floor, NISD Building, Sector-10, Dwarka, New Delhi-110075

Appendix-I

Certificate for person with specified disability covered under the definition of Section 2 (s) of the RPwD Act, 2016 but not covered under the definition of Section 2(r) of the said Act, i.e. persons having less than 40% disability and having difficulty in writing

This is to certify that, we have examined Mr/Ms/Mrs .... (name of the candidate), S/o /D/o ...., a resident of ....(Vill/PO/PS/District/State), aged .... yrs, a person with .... (nature of disability/condition), and to state that he/she has limitation which hampers his/her writing capability owing to his/her above condition. He/she requires support of scribe for writing the examination.

2. The above candidate uses aids and assistive device such as prosthetics & orthotics, hearing aid (name to be specified) which is /are essential for the candidate to appear at the examination with the assistance of scribe.

3. This certificate is issued only for the purpose of appearing in written examinations conducted by recruitment agencies as well as academic institutions and is valid upto ________ (it is valid for maximum period of six months or less as may be certified by the medical authority)

Signature of medical authority

(Signature & Name)	(Signature & Name)	(Signature & Name)	(Signature & Name)	(Signature & Name)
Orthopedic / PMR specialist	Clinical Psychologist/ Rehabilitation Psychologist/Psychiatrist / Special Educator	Neurologist (if available)	Occupational therapist (if available)	Other Expert, as nominated by the Chairperson (if any)
(Signature & Name)				
Chief Medical Officer/Civil Surgeon/Chief District Medical Officer.........Chairperson				

Name of Government Hospital/Health Care Centre with Seal

Place:

Date:

Appendix-II

Letter of Undertaking by the person with specified disability covered under the definition of Section 2 (s) of the RPwD Act, 2016 but not covered under the definition of Section 2(r) of the said Act, i.e. persons having less than 40% disability and having difficulty in writing

I ________________, a candidate with ______________ (nature of disability/condition) appearing for the ________________(name of the examination) bearing Roll No. ______________________ at __________________ (name of the centre) in the District ________________, ______________________ (name of the State). My educational qualification is ________________.

2. I do hereby state that _____________________ (name of the scribe) will provide the service of scribe for the undersigned for taking the aforementioned examination.

3. I do hereby undertake that his qualification is ________________. In case, subsequently it is found that his qualification is not as declared by the undersigned and is beyond my qualification. I shall forfeit my right to the post or certificate/diploma/degree and claims relating thereto.

(Signature of the candidate)

(counter signature by the parent/guardian, if the candidate is minor)

Place:

Date:

पत्र संख्या–11/आ०–न्याय–30/2021 सा०प्र० 10668
बिहार सरकार
सामान्य प्रशासन विभाग

प्रेषक,

रजनीश कुमार,
सरकार के उप सचिव।

सेवा में,

सभी अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव।
सभी विभागाध्यक्ष।
सभी प्रमण्डलीय आयुक्त।
सभी जिला पदाधिकारी।
सचिव, बिहार लोक सेवा आयोग, पटना।
सचिव, बिहार कर्मचारी चयन आयोग, पटना।
सचिव, केन्द्रीय चयन पर्षद (सिपाही भर्ती), पटना।
परीक्षा नियंत्रक, बिहार संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा पर्षद, पटना।
निबंधक, महाधिवक्ता, बिहार का कार्यालय, उच्च न्यायालय, पटना।
सचिव, बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार, पटना।
सचिव, बिहार राज्य विश्व विद्यालय सेवा आयोग, पटना।
सचिव, बिहार तकनीकी सेवा आयोग, पटना।
सचिव, बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग, पटना।

पटना–15, दिनांक 29-6-22

विषय :– **दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 के अनुरूप सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार के कार्यालय ज्ञाप दिनांक–29.08.2018 के आलोक में बेंचमार्क दिव्यांग अभ्यर्थियों को श्रुतिलेखक एवं अन्य सुविधा उपलब्ध कराने के संबंध में।**

महोदय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि सामान्य प्रशासन विभाग (तत्कालीन कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग), बिहार, पटना के पत्रांक–3433 दिनांक–09.10.2007 एवं परिपत्र संख्या–9529 दिनांक–01.07.2015 द्वारा दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए निम्नांकित सुविधाएँ उपलब्ध करायी गई हैं :–

क्रम सं०	परिपत्र संख्या–3433 दिनांक–09.10.2007 का प्रावधान	परिपत्र संख्या–9529 दिनांक–01.07.2015 का प्रावधान
1.	*नेत्रहीन विद्यार्थी या दृष्टिबाधित अभ्यर्थी के लिए परीक्षा में श्रुतिलेखक की व्यवस्था की जाएगी।*	*स्थायी रूप से हाथ नहीं होने के कारण लिखने से मजबूर या सेरेब्रल पॉल्सी से ग्रसित अभ्यर्थी, जो लिखने में सक्षम नहीं हों, के लिए श्रुतिलेखक की व्यवस्था की जाएगी।*
2.	*श्रुतिलेखक के पारिश्रमिक का भुगतान 100 रूपये की दर से परीक्षा आयोजित करने वाले संस्थान द्वारा किया जाएगा।*	*श्रुतिलेखक के पारिश्रमिक का भुगतान 100 रूपये की दर से परीक्षा आयोजित करने वाले संस्थान द्वारा किया जाएगा।*

3.	श्रुतिलेखक की शैक्षणिक योग्यता आयोजित परीक्षा के शैक्षणिक योग्यता के एक स्तर नीचे की होगी।	श्रुतिलेखक की शैक्षणिक योग्यता आयोजित परीक्षा के शैक्षणिक योग्यता के एक स्तर नीचे की होगी।
4.	दृष्टिहीन अथवा दृष्टिबाधित अभ्यर्थियों के लिए प्रति घंटा 15 मिनट की दर से न्यूनतम 15 मिनट एवं अधिकतम 45 मिनट का अतिरिक्त समय दिया जाएगा।	स्थायी रूप से हाथ नहीं होने के कारण लिखने से मजबूर या सेरेब्रल पॉल्सी से ग्रसित अभ्यर्थी, जो लिखने में सक्षम नहीं हों, के अभ्यर्थियों के लिए प्रति घंटा 15 मिनट की दर से न्यूनतम 15 मिनट एवं अधिकतम 45 मिनट का अतिरिक्त समय दिया जाएगा।

उपर्युक्त प्रावधान के अतिरिक्त सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार के संदर्भित कार्यालय ज्ञाप दिनांक–29.08.2018 के आलोक में उपर्युक्त सुविधा को विस्तारित करते हुए दिव्यांग अभ्यर्थियों को निम्नांकित सुविधा देने का निर्णय लिया गया है :–

(i) दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 की धारा–2(r) के अन्तर्गत परिभाषित किसी भी बेंचमार्क दिव्यांगता से ग्रसित अभ्यर्थी को श्रुतिलेखक की सुविधा अनुमान्य करायी जा सकेगी।

(ii) दिव्यांग अभ्यर्थी परीक्षा के केन्द्राधीक्षक द्वारा तैयार किये गए श्रुतिलेखकों के पैनल में से स्वविवेक के आधार पर श्रुतिलेखक चुन सकते हैं या परीक्षा से संबंधित संस्थान से ऐसा अनुरोध कर सकते हैं। परीक्षा नियंत्री संस्थान जिला एवं प्रमंडल स्तर पर श्रुतिलेखकों का एक पैनल तैयार करेंगे तथा सुविधानुसार परीक्षा से दो दिन पहले परीक्षार्थी को श्रुतिलेखक से मिलने की अनुमति दे सकेंगे, ताकि दिव्यांग अभ्यर्थी उपलब्ध कराये गये श्रुतिलेखक की दक्षता का परीक्षण कर सकें।

(iii) श्रुतिलेखक की योग्यता आयोजित परीक्षा के स्तर से ऊपर के स्तर की नहीं होगी, जबकि न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता मैट्रिक या इसके ऊपर की होगी।

(iv) दिव्यांग अभ्यर्थी द्वारा श्रुतिलेखक के स्वयं चुनने की स्थिति में श्रुतिलेखक की शैक्षणिक योग्यता परीक्षा के स्तर से एक स्तर नीचे की होगी तथा इस परिस्थिति में चुने गए श्रुतिलेखक की विस्तृत सूचना (शैक्षणिक योग्यता प्रमाण–पत्र, आधार कार्ड एवं पैन कार्ड आदि) विहित प्रपत्र में केन्द्राधीक्षक द्वारा उपलब्ध करायी जायेगी। इस संबंध में अनियमितता की स्थिति में दिव्यांग अभ्यर्थी के विरूद्ध यथोचित कार्रवाई परीक्षा नियंत्री संस्थान अथवा केन्द्राधीक्षक द्वारा की जा सकेगी।

(v) विभिन्न भाषाओं की परीक्षा के संदर्भ में दिव्यांग अभ्यर्थी को एक से अधिक भाषा के लिए एक से अधिक श्रुतिलेखक चुनने की सुविधा प्राप्त करायी जा सकती है।

(vi) बेंचमार्क दिव्यांग अभ्यर्थी, जो श्रुतिलेखक के माध्यम से परीक्षा दे रहे हों अथवा श्रुतिलेखक के बिना परीक्षा दे रहे हों, दोनो ही स्थिति में इन्हें प्रति घंटा की दर से 20 मिनट का अतिरिक्त क्षतिपूरक समय दिया जा सकता है। यह अवधि अधिकतम 60 मिनट की होगी। यदि एक घंटे से कम अवधि की परीक्षा हो, तो अनुपातिक विधि से अतिरिक्त समय दिया जा सकता है। अतिरिक्त समय 5 मिनट से कम नहीं होगा तथा यह अनुपातिक रूप से 5 मिनट के गुणक में हो सकता है।

(vii) श्रुतिलेखक को पारिश्रमिक के रूप में एक पाली की परीक्षा में 500/– (पाँच सौ) रूपये का भुगतान किया जा सकेगा, जबकि दो पालियों की परीक्षा में उसी श्रुतिलेखक को 800/– (आठ सौ) रुपये पारिश्रमिक का भुगतान किया जायेगा।

दो पालियों में अलग–अलग श्रुतिलेखक के लिए पारिश्रमिक के रूप में 500/– (पाँच सौ) रुपये का भुगतान किया जा सकेगा। श्रुतिलेखक के पारिश्रमिक का भुगतान परीक्षा आयोजित करने वाले संस्थान द्वारा किया जायेगा।

(viii) दिव्यांग अभ्यर्थियों को प्राथमिकता के आधार पर भू–तल पर परीक्षा में बैठने की व्यवस्था की जायेगी। परीक्षा से पूर्व प्रश्न पत्र देते समय अचूक रूप से समय को इंगित किया जा सकेगा, ताकि क्षतिपूरक समय के लिए कोई दुविधा की स्थिति उत्पन्न न हो।

अनु०–यथोक्त।

विश्वासभाजन,

28/06/2022

(रजनीश कुमार)

सरकार के उप सचिव।

FILE PATH-D/DIWAKAR MANI - HINDI LETEER

अनुसूची–I

परीक्षा में श्रुतिलेखक प्राप्त करने हेतु दिव्यांगता की मात्रा से संबंधित प्रमाण–पत्र :–

मैं प्रमाणित करता हूँ कि मैने श्री/सुश्री/श्रीमती.. (दिव्यांग अभ्यर्थी का नाम) पुत्र/पुत्री श्री.. ग्राम/मुहल्ला–......................................पोस्ट–...................................थाना–.......................... जिला/शहर–...जो एक दिव्यांग व्यक्ति हैं, जिनके दिव्यांगता का प्रकार................................ (प्रकृति एवं दिव्यांगता की मात्रा प्रतिशत में) है, का मैंने परीक्षण किया है। मैं यह घोषणा करता हूँ कि दिव्यांगता प्रतिशत के आधार पर ये स्वयं लिखने की क्षमता नहीं रखते हैं/रखती हैं।

हस्ताक्षर

मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी

अनुसूची–II

दिव्यांग अभ्यर्थी द्वारा स्वचयनित श्रुतिलेखक रखने की स्थिति में उनके द्वारा दिया जाने वाला शपथ–पत्र :–

मैं..(अभ्यर्थी का नाम), जो .... (दिव्यांगता आधारित प्रकृति) से ग्रसित हूँ तथा.. (परीक्षा का नाम) में क्रमांक–....................(अभ्यर्थी का रौल नं०) के अन्तर्गत.................... (केन्द्र/परीक्षा केन्द्र), जो.. (जिला का नाम) के अन्तर्गत हैं। मेरी शैक्षणिक योग्यता..............................है।

2. मैं यह भी घोषणा करता हूँ कि..(श्रुतिलेखक का नाम) इस परीक्षा में मुझे श्रुतिलेखक/प्रवाचक/प्रयोगशाला सहायक की सुविधा प्रदान करेंगे।

3. मैं घोषणा करता हूँ कि मेरे द्वारा चयनित श्रुतिलेखक की शैक्षणिक योग्यता ....है। यदि कालान्तर में पाया गया कि चयनित श्रुतिलेखक के संदर्भ में मेरे द्वारा घोषित सूचना सही नहीं है और इनकी शैक्षणिक योग्यता मेरी शैक्षणिक योग्यता से अधिक है, तो ऐसी स्थिति में मेरा संदर्भित परीक्षा के लिए पात्रता के दावे को समाप्त कर दिया जायेगा एवं इस संदर्भ में यथोचित कार्रवाई की जा सकेगी।

दिव्यांग अभ्यर्थी का हस्ताक्षर